पत्र संख्या-विधि-4(1)-विज्ञप्ति भाग-2(09-10)/ 306/1011012 / वाणिज्य कर।

5/5/10

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक :: लखनऊ :: मई 04, ,2010

विषयः- अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-765/ग्यारह-9(203)/92-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(10)-2008 दिनॉक 4-3-2008 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपयुर्क्त विषयक शासन के पत्र संख्या-क0नि0-2-658/ग्यारह-2-09-9(1)/08, दि0 29-4-2010 द्वारा निर्देश प्राप्त हुये हैं कि ऐसे व्यापारियों जिनके द्वारा " हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर किरोसीन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फयूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पैट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उनमें जन वितरण प्रणाली का किरोसीन आयल सम्मिलित नहीं है" की बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत देय कर का भुगतान किया गया है, से दि0 01-01-2008 से अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-484/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(59)-2010 दिनॉक 26-04-2010 प्रभावी होने की तिथि के मध्य की अवधि का देय प्रवेश कर एंव उस पर देय ब्याज माफ कर दिया जाय। माफी का आदेश पारित करने का अधिकार कर निर्धारक अधिकारी को प्रदान किया जाता है।

शासन के उक्त पत्र दिनॉक 29-4-2010 की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि इस पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा इसकी पर्याप्त मात्रा में प्रतियॉ करवा कर अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों उपलब्ध करायें।

भवदीय,

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

(यू0सी0 दीक्षित)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, उ0प्र0।

पृ0प0स0एंव दिनॉक उक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन संस्थागत वित्ता कर एंव निबन्धन अनुभाग-2 सचिवालय लखनऊ को उनके पत्र संख्या-क0नि0-2-658/ग्यारह-2-09-9(1)/08, दि0 29-4-2010 के सदंर्भ में सूचनार्थ।

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर मुख्यालय को उक्त पत्र की एक प्रति सहित प्रेषित।

(यू0सी0 दीक्षित)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, उ0प्र0।

संख्याः–क0नि0–2– 658 /ग्यारह–2–09–9(1)/08

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 लखनऊः:दिनांकः: 29 अप्रैल, 2010

विषयः– अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–765/ग्यारह–9(203)/92–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश–(10)–2008 दिनांक 04.03.2008 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत ''हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर किरोसीन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फ्यूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पैट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उनमें जन वितरण प्रणाली का किरोसीन आयल सम्मिलित नहीं है'' पर विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–2–160/ग्यारह–9(203)/92–उ0प्र0अधि0–12–2000–आदेश–(2)–2004 दिनाक 15.01.2004 द्वारा माल के मूल्य का 5% प्रवेश कर निर्धारित किया गया था। उक्त वस्तुओं की बिक्री पर देय व्यापार कर में उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की सीमा तक रिबेट प्रदान किया गया था। यह रिबेट दोनों स्थितियों में था चाहे प्रवेश कर की देयता व्यापार कर की देयता से पूर्व हो अथवा बाद में हो।

2– वैट अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–765/ग्यारह–9(203)/92–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश–(10)–2008 दिनांक 04.03.2008 द्वारा उक्त वस्तुओं पर देय प्रवेश कर में वैट अधिनियम में देय कर का रिबेट प्रदान किया गया। आयल कम्पनियों द्वारा प्रदेश के कई

स्थानों पर डिपो पर माल लाकर बिक्री की जाती है। डिपो से की गई बिक्री के सम्बन्ध में पहले प्रवेश कर का दायित्व आता है तथा बाद में बिक्री के पश्चात उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत भुगतान का दायित्व आता है। इस प्रकार डिपो से डिपो के स्थानीय क्षेत्र के भीतर की गई बिक्री के सम्बन्ध में रिबेट अनुमन्य न होने से उन नगर निगमों में कीमत अधिक हो जाती है, जहां यह डिपो हैं। अतः इस विसंगति को दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा 6 में संशोधन हुआ तथा अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–484/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश–(59)–2010 दिनांक 26.04.2010, जो दिनांक 26.4.2010 से प्रभावी है, द्वारा अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–765/ग्यारह–9(203)/92–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश–(10)–2008 दिनांक 04.03.2008 में संशोधन हो गया है।

3– उपर्युक्त के संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे व्यापारियों जिनके द्वारा "हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर किरोसीन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फ्यूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पैट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उनमें जन वितरण प्रणाली का किरोसीन आयल सम्मिलित नहीं है" की बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत देय कर का भुगतान किया गया है, से दिनांक 01.01.2008 से अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–484/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–30–07–आदेश–(59)–2010 दिनांक 26.04.2010 प्रभावी होने की तिथि के मध्य की अवधि का देय प्रवेश कर एवं उस पर देय ब्याज माफ कर दिया जाय। माफी का आदेश पारित करने का अधिकार कर निर्धारक अधिकारी को प्रदान किया जाता है।

4– कृपया तद्नुसार अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।